



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विभागीय अधिसूचना

भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 6 जनवरी, 1993

पृष्ठ 16, 1914 एक सम्बन्ध

उत्तर प्रदेश सरकार
विभागीय अधिसूचना-1

संख्या 30/सब-वि-1-1(क)17-1992
लखनऊ, 6 जनवरी, 1993

अधिसूचना
विषय

माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड
अधिसूचना, 1993

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1992 पर दिनांक 17 नवम्बर, 1992 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1993 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन)
अधिनियम, 1992

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1993)

[जैसा उत्तर, प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड अधिनियम, 1992 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तैत्तालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1992 कहा जायेगा।

(2) यह ऐसे विभाग को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे और विभिन्न उपबन्धों के लिए विभिन्न विभाग निर्धारित किया जा सकते हैं।

संक्षिप्त नाम और
प्रारम्भ

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 वर्ष 1982 के दिने निर्दिष्ट या धारा 1 का अधिनियम धारा 2 का अधिनियम

2--उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और वन बोर्ड अधिनियम, 1982 के, जिसे धारा 5 मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 1 में शब्द "आयोग और" निकाल दिए जायेंगे।

3--मूल अधिनियम की धारा 1 में, उपधारा (1) में, शब्द "आयोग और" निकाल दिए जायेंगे।

4--मूल अधिनियम की धारा 2 में,--

- (क) खण्ड (ख) और (ग) निकाल दिए जायेंगे;
- (ख) खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्--
 "(घ-1) 'निरीक्षक' का तात्पर्य जिला विद्यालय निरीक्षक और बालिकाओं की किसी संस्था के समन्वय में संभागीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका से है;"
- (ग) खण्ड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्--
 "(छ) 'सदस्य' का तात्पर्य बोर्ड के सदस्य से है और इसके अन्तर्गत सहायक भी है;"
- (घ) खण्ड (झ) और (ञ) निकाल दिए जायेंगे;
- (ङ) खण्ड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्--
 "(ड) 'भर्ती का वर्ष' का तात्पर्य किसी क्लेण्डर वर्ष की जुलाई के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।"

अध्यापक की नियुक्ति का

5--मूल अधिनियम का अध्याय दो जिसमें धारा 3 से 11 दी गई हैं, निकाल दिया जायेगा।

धारा 12 का अधिनियम

6--मूल अधिनियम की धारा 12 में,--

- (क) उपधारा (1) में शब्द "धारा 12 के अधिनियम" के स्थान पर शब्द "धारा 12" रख दिए जायेंगे।
- (ख) उपधारा (3), (4) और (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रख दी जायेंगी, अर्थात्--
 "(3) प्रत्येक ऐसे बोर्ड में एक सहायक और चार से अधिक ऐसे अन्य सदस्य होंगे जिन्हें चयन समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे, द्वारा विहित रीति से की गई संसूति पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा :--
 (एक) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार ... अध्यक्ष
 (दो) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार यावत् विभाग ... सदस्य
 (तीस) अधिकांश उत्तर प्रदेश सरकार, की सांख्यिक विभाग, उपसचिव विभाग, या अग्रेसरी हो।

(4) कोई व्यक्ति समापति के रूप में नियुक्ति के लिए बर्ह नहीं होगा जब तक कि--

- (क) वह निम्नलिखित पदों में से कोई पद या उसकी समकक्षा कोई पद धारण न करता हो या धारण न कर चुका हो, अर्थात्--
 (एक) जिला न्यायाधीश ;
 (दो) जिला मजिस्ट्रेट ;
 (तीस) जिला निरीक्षक ; या
- (ख) वह राज्य सरकार की राय में ऐसा विख्यात शिक्षाविद न हो जिसने शिक्षा के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान किया हो।

(5) कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए बर्ह नहीं होगा जब तक कि--

- (क) वह निम्नलिखित पदों में से कोई पद या उसकी समकक्षा पद धारण न करता हो या धारण न कर चुका हो, अर्थात्--
 (एक) जिला न्यायाधीश ;

- (दो) अपर जिला मजिस्ट्रेट ;
 (तीन) अपर शिक्षा निदेशक ;
 (चार) उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में आचार्य ;
 (पांच) ऐसे किसी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त या उससे सम्बद्ध किसी महाविद्यालय का कम से कम दस वर्ष की अवधि के लिए प्रधानाचार्य या उपचार्य ;
 (छः) किसी संस्था का कम से कम पन्द्रह वर्ष की अवधि के लिए प्रधानाचार्य ; या
 (ख) वह राज्य सरकार की राय में ऐसा विख्यात शिक्षाविद न हों जिसने शिक्षा के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान किया हो ।”

7--मूल अधिनियम की धारा 12 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएँ बढ़ा दी जायेंगी।
 अर्थात्---

नई धारा 12-क,
 12-ख और
 12-ग का बड़ाया जाना

- “12--क--(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा ।
 (2) कोई भी व्यक्ति निरन्तर दो पदावधियों से अधिक के लिए बोर्ड का सदस्य नहीं होगा ।
 (3) बोर्ड का कोई सदस्य राज्य सरकार को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है किन्तु वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका त्याग-पत्र राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत न कर लिया जाय ।
 (4) सदस्यों का पद पूर्णकालिक होगा और उनकी सेवा के निवन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी राज्य सरकार, आदेश द्वारा निदेशित करें ।
 (5) इस धारा या धारा 12 में किसी बात के होते हुए भी पञ्चम वर्ष से कम आयु का और बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जायगा और न ही बासठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् कोई व्यक्ति सदस्य बना रहेगा ।

12--ख--(1) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, किसी सदस्य को पद से हटा सकती है, यदि वह--

- सदस्यों को हटाने की राज्य सरकार की शक्ति
 (क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाय ; या
 (ख) अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी वैतनिक सेवामोजन में कार्य करे ; या
 (ग) राज्य सरकार की राय में, मानसिक या शारीरिक दुर्बलता या सिद्ध कदाचार के कारण पद पर बने रहने के लिए अनुपयुक्त हो ; या

(घ) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी अनर्हता का भागी हो जाय ।

स्पष्टीकरण---जहाँ कोई सदस्य एगो सदस्य के रूप से अन्यथा किसी प्रकार से किसी संस्था द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या करार से, संबद्ध हो या उसमें हितबद्ध हो या उसके लाभ में या उससे प्राप्त होने वाले किसी फायदे या उपलब्धि में सम्मिलित हो वहाँ उसे खण्ड (ग) के प्रयोजनार्थ कदाचार का बोध समझा जायेगा ।

(2) इस धारा के अधीन कदाचार के अन्वेषण और उसे सिद्ध करने की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाय ।

12--ग--बोर्ड अपने साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिये जो विहित किये जायें, किसी ऐसे व्यक्ति को सहयुक्त कर सकता है जिसकी सहायता या सलाह वह इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए लेना चाहें ।”

8--मूल अधिनियम की धारा 13 में, उपधारा (1) में, अन्त में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्---

धारा 13 का
 संबोधन

“परन्तु बोर्ड का सचिव राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जायेगा ।”

9--मूल अधिनियम की धारा 14 में,---

धारा 14 का
 संबोधन

(क) उपधारा (1) में, शीर्षक और शब्द “अनुसूची में विनिर्दिष्ट अध्यापक से भिन्न” निकाल दिये जायेंगे ;

- (ख) उपधारा (2) निम्नलिखित की जायेगी ;
- (ग) उपधारा (3) में—
 - (एक) शब्द और अंक "उपधारा (1) और (2)" के स्थान पर शब्द और अंक "उपधारा (1)", रख दिये जायेंगे ;
 - (दो) खण्ड (क) में, शब्द "परिधानों जहाँ आवश्यक समझा जाय, संशोधित करना या" निकाल दिये जायेंगे ;
 - (तीन) खण्ड (ख) में शब्द "और परीक्षक नियुक्त करना" निकाल दिए जायेंगे ;
 - (चार) खण्ड (ग) में शब्द "और परीक्षकों" निकाल दिए जायेंगे ।
 - (पांच) खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्—
 - (च) चयन किये गये अभ्यापकों की नियुक्ति और उनकी प्रोन्नति के संबंध में सिफारिश करना ;
 - (छ) अभ्यापकों की पदस्थिति, हटाये जाने या पंक्तिभूति या उनकी उपलब्धियों में कोई कमी या उनकी वेतनवृद्धि रोकने से संबंधित विषयों में प्रबन्धतंत्र को सलाह देना ;
 - (ज) अभ्यापकों की पद संस्था और अभ्यापकों की नियुक्ति, प्रोन्नति, पदस्थिति, हटाने, सेवा समाप्ति या पंक्तिभूति के संबंध में संस्थाओं से नियतकालिक विवरणियाँ या अन्य सूचनाएँ प्राप्त करना ।

धारा 15 का प्रतिस्थापन

10---मूल अधिनियम की धारा 15 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएँ रख दी जायेंगी, अर्थात्---

"15---(1) किसी अध्यापक की नियुक्ति करने के प्रयोजनार्थ प्रबंधतंत्र विद्यमान या शर्तों के वर्ष के दौरान संभावित, रिक्तियों की संख्या और संस्था अध्यापकों के चयन के प्रदान से भिन्न किसी पद के मामले में अनुपस्थित जातियों, अनुसूचित जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यापकों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी संस्था के संबंध में नियमावली या सरकार द्वारा इस निमित्त जारी किए गये आदेशों के अनुसार व्यवहारित करेगा और रिक्तियों को बोर्ड को सूची रीति से और ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी के माध्यम से, जो विहित किया जाय, अधिसूचित करेगा ।

(2) ऐसे अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यापकों के चयन की प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसी विहित की जाय :
परन्तु बोर्ड प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आमंत्रित करने की दृष्टि से उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित रिक्तियों की सूच्य में व्यापक प्रचार करेगा ।

15-क--(1) बोर्ड, धारा 15 के अधीन रिक्तियों को अधिसूचित करने के पश्चात् बोर्ड द्वारा चयन किया गया अध्यापकों का साक्षात्कार करेगा और नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाए गये अभ्यापकों का वैनल तैयार करेगा और उसे धारा 15 की उपधारा (1) में निहित अधिकारी या प्राधिकारी को विहित रीति से अप्रसारित करेगा ।

(2) ऐसे वैनल के प्राप्त होने पर संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी उस संस्था के, जिसके संबंध में विहित अधिसूचना की गई थी, प्रबंधतंत्र को चयन किए गए अभ्यापकों के नाम विहित रीति से सूचित करेगा ।

(3) प्रबंधतंत्र ऐसी सूचना की प्राप्ति के दिनांक से एक मास की अवधि के भीतर ऐसे चयन किये गए अभ्यापकों को नियुक्ति-पत्र जारी करेगा ।

(4) यदि इस प्रकार चयन किया गया अभ्यापक ऐसी संस्था में, नियुक्ति-पत्र में अनुमत समय के भीतर या ऐसी बड़ागी सई शर्तों के भीतर जिसकी प्रबन्धतंत्र इस निमित्त अनुमति दे, पद का कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहता है या यदि ऐसा अभ्यापक नियुक्ति के लिये अन्यथा उपस्था नहीं है, तो संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी प्रबंधतंत्र को अनुरोध पर, उपधारा (1) के अधीन बोर्ड द्वारा अप्रसारित वैनल से नया नाम या नये नाम विहित रीति से सूचित करेगा ।

(5) उपधारा (1) के अधीन तैयार वैनल एक वर्ष के लिए प्रवृत्त रहेगा ।

15-ख---यदि किसी संस्था में धारा 33 के अधीन अध्यापकों की नियुक्ति के विनियमनकारीकरण के पश्चात् यह पाया जाए कि धारा 15 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य किसी आरक्षित श्रेणी के व्यक्ति राज्य सरकार के किसी विभाग या आदेश द्वारा उनके लिये आरक्षित पदों की संख्या से कम

संशोधित आरक्षित कोटा के लिये विशेष उपबंध

पदों में नियुक्त है, तो इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी संस्था में, ऐसी आरक्षित श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या ऐसी श्रेणी के व्यक्तियों से बरे जाने तक, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और जयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रवर्तन के पश्चात् उत्पन्न हुई रिक्तियों में, नियुक्तियों इस प्रकार की जायेंगी कि प्रथम व प्रत्येक एकान्तर रिक्त ऐसी आरक्षित श्रेणी के व्यक्तियों से भरी जाए ।

11—मूल अधिनियम की धारा 16 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्—

“16—(1) इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 या उसके अधीन बनाए गए विनियमों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किन्तु धारा बोर्ड की सिफारिश 21-क, 21-ग, 21-घ, 33, 33-क, और 33-ख के उपबन्धों पर ही नियुक्तियों के अधीन रहते हुए अव्यापकों की प्रत्येक नियुक्ति उत्तर प्रदेश की जायेंगी माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और जयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारम्भ के दिनांक को या उसके पश्चात् प्रवन्तन्त्र द्वारा बोर्ड की सिफारिश पर ही की जायगी :

परन्तु छूटनी किए गए कर्मचारियों के संबंध में, इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 16-इक के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे :

परन्तु यह और कि किसी एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानान्तरण द्वारा किसी अव्यापक की नियुक्ति इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 16-इ की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार की जा सकती ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करके की गई कोई नियुक्ति भूख्य होगी ।”

12—मूल अधिनियम की धारा 17 में—

(क) उपधारा (1) में, शब्द “यथास्थिति, अव्याय दो या अव्याय तीन” के स्थान पर शब्द “अव्याय तीन” रख दिये जायेंगे ।

(ख) उपधारा (2) में, शब्द “आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर” के स्थान पर शब्द “आवेदन-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से सवासात एक मास के भीतर” रख दिये जायेंगे ।

13—मूल अधिनियम की धारा 18 निराल की जायगी ।

14—मूल अधिनियम की धारा 18 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्—

“18—बोर्ड किसी संस्था के प्रवन्तन्त्र से धारा 14 में निश्चित विषयों के सूचना आदि संबंध में ऐसी सूचना या विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सानेगी कि वह निम्नलिखित बातें ध्यान में रखेगी—
संकेत है किसे यह उचित समझे, और प्रवन्तन्त्र उसका अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा ।”

15—मूल अधिनियम की धारा 20 में, शब्द “आयोग के सचिव या आयोग या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति” के स्थान पर शब्द “बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति” रख दिये जायेंगे ।

16—मूल अधिनियम की धारा 21 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्—

“21—प्रवन्तन्त्र, बोर्ड के पूर्वनिर्वाह के सिवाय किसी अव्यापक को पदभ्युक्त नहीं करेगा, न सेवा से हटाएगा, न सेवा से हटाने की कोई नोटिस देगा, न पंक्तिभ्युक्त करेगा, न उसकी परिलक्षितियों में कोई कमी करेगा और न ही किसी शक्ति के तहत उसकी सेवावृद्धि (चाहे वह धरशादी या स्वामी स्व से हो) रोकेगा, और ऐसे पूर्वनिर्वाह के विना किवा क्या ऐसा कोई कार्य भूख्य होगा ।”

17—मूल अधिनियम की धारा 22 में, शब्द “यथास्थिति, आयोग या बोर्ड” के स्थान पर शब्द “बोर्ड” रख दिया जायगा ।

18—मूल अधिनियम की धारा 23 और 26 में, जहां कहीं शब्द “आयोग या” आए हों, उन्हें निराल दिया जायगा ।

19—मूल अधिनियम की धारा 27 में, उपधारा (1) निराल की जायगी ।

धारा 16 का प्रतिस्थापन

धारा 17 का संशोधन

धारा 18 का निराला ज्ञान

धारा 19 का प्रतिस्थापन

धारा 20 का संशोधन

धारा 21 का प्रतिस्थापन

धारा 22 का संशोधन

धारा 23 और 26 का संशोधन

धारा 27 का संशोधन

- धारा 28 का संशोधन 20—मूल अधिनियम की धारा 28 में, शब्द "आयोग या बोर्ड" के स्थान पर शब्द "बोर्ड" रख दिया जायगा।
- धारा 29 का विस्थापन जाना 21—मूल अधिनियम की धारा 29 निरस्त की जायेगी।
- धारा 32 का संशोधन 22—मूल अधिनियम की धारा 32 में, शब्द "या इसके अधीन प्रस्तावित अधिनियमों" के स्थान पर शब्द "या इसके अधीन कानून" रखे जाने होंगे।
- धारा 33 का संशोधन 23—मूल अधिनियम की धारा 33 में, उपधारा (1) में, परन्तु के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायगा, अर्थात्—
 "परन्तु ऐसा कोई अधिक उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया कोई (संशोधन) अधिनियम, 1992 के अधिनियम के दिनांक से दो वर्ष के पर्यन्त नहीं किया जायगा।"
- धारा 33-ब का बर्दाश जाना 24—मूल अधिनियम की धारा 33-ब के परन्तुक निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्—
 "33-ब—(1) आचार्य या मानव सम्साधन से जिस ऐसे किसी सम्साधन की परीक्षाएं द्वारा नियुक्ति निम्नलिखित की जायेगी, जो—
 (क) (एक) उच्च प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग नियुक्तियों का (द्वितीय) (द्वितीय) राष्ट्रीय, 1981 के पैरा 2 के विनियमों के अनुसार प्रस्तावित या प्रकृतित कालख केपी में 14 वर्ष, 1991 की या उसके पूर्व या वर्तमानके आरंभ से 13 वर्ष, 1989 को या उसके पूर्व, परीक्षा द्वारा या सीमा नहीं द्वारा किसी व्यवसायिक विधि में नियुक्त किए गए या सीमा नहीं विधि को बाह में सीमित विधि में परीक्षा कर दिया गया था; या
 (ख) वर्तमानके आरंभ से 14 वर्ष, 1981 की या उसके पूर्व या वर्तमानके 12 वर्ष, 1985 के पर्यन्त नहीं, सीमा नहीं द्वारा नियुक्त किया गया था और परीक्षा निम्नलिखित विधि के द्वारा परीक्षा कर दी गई थी; या
 (ग) धारा 13 के अनुसार, जो कि वह उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग के अधीन (संशोधन) अधिनियम, 1992 द्वारा नियुक्त होने के पूर्व भी, किसी सीमित विधि के प्रति वर्ष के आधार पर परीक्षा द्वारा या सीमा नहीं द्वारा 31 मार्च, 1988 को या उसके पर्यन्त नियुक्त 14 वर्ष, 1991 के पर्यन्त नहीं, नियुक्त किया था;
 (घ) उच्चतम न्यायालय अधिनियम, 1992 के अधिनियम के अनुसार नियुक्त नहीं किया गया था के अधिनियमों से प्राप्त है;
 (च) ऐसी नियुक्ति के विधि में शब्द (क) के सम्बन्ध (ग) में निम्नलिखित अधिनियम के कारण होने के विधि के द्वारा में निम्नलिखित कर रहा है;
 (ज) धारा 33-क की उपधारा (3) के संश्लेषण में निम्नलिखित पर्यन्त से सेवा के सम्बन्ध में किसी प्रकार या आचार्य या मानव सम्साधन से पर्यन्तित न हों;
 (झ) उपधारा (2) के अधिनियम चयन समिति द्वारा सीमित रूप में नियुक्ति के विधि पर्यन्तित गया है।
 (2) (क) उच्चतम न्यायालय के लिए एक चयन समिति होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—
 (एक) उच्च न्यायालय का सहायक न्यायाधीश, जो अध्यक्ष होगा;
 (दो) शिक्षा विभाग से जिस किसी विभाग में, राज्य सरकार द्वारा सम्बन्धित पर एक रूप में निम्नलिखित समूह "क" का पद धारण करने वाला एक अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा;
 (तीन) उच्च न्यायालय की सहायक न्यायाधीश विद्यालय निरीक्षक;
 परन्तु इस विधि के निम्नलिखित के अधिनियमों पर किया करने समय शिक्षा विधि के रूप में पर्यन्तित किया जायेगा।

(ख) खण्ड (क) के अधीन गठित चयन समिति प्रत्येक ऐसे अध्यापक को मामले पर विचार करेगी और उपधारा (1) के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए उसकी पालना और उपयुक्तता के संबंध में समाधान हो जाने पर, उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी मौलिक रिक्ति पर उपधारा (1) के अधीन नियुक्ति के लिये प्रवन्धन को उसके नाम की सिफारिश करेगी।

(3) (क) मौलिक नियुक्ति के लिये अध्यापकों के नामों की सिफारिश उनकी नियुक्ति के दिनांक से यथा-शक्यारित ज्येष्ठता-क्रम में की जायेगी।

(ख) यदि दो या अधिक ऐसे अध्यापक एक ही दिनांक को नियुक्त किए गए हों तो आयु में अनेकाकृत बड़े अध्यापक की सिफारिश पहले की जायेगी।

(4) उपधारा (1) के अधीन मौलिक रूप में नियुक्त प्रत्येक अध्यापक को ऐसी मौलिक नियुक्ति के दिनांक से परिबीधा पर समाप्त जायेगी।

(5) ऐसा अध्यापक जो उपधारा (1) के अधीन उपयुक्त न पाया जाय और ऐसा अध्यापक जो उस उपधारा के अधीन मौलिक नियुक्ति पाने के लिये पात्र न हो, ऐसे दिनांक को जैसा राज्य सरकार श्रेष्ठता, क्षमता, विनिश्चित करे, नियुक्ति पर नहीं रूख जायेगा।

(6) इस धारा की निम्नी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि कोई अध्यापक मौलिक नियुक्ति के लिये हकदार हो जायेगा, यदि उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्ध (सी) में निहित अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को ऐसी रिक्ति पहले से ही भरी हुई थी या ऐसी रिक्ति के लिये इस अधिनियम के अन्तर्गत पहले ही चयन कर लिया गया है।"

25--मूल अधिनियम की धारा 34 निकाल दी जायेगी।

26--मूल अधिनियम की अनुसूची निकाल दी जायेगी।

27-- मूल अधिनियम की धारा 3 के, जैसी वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व थी, अधीन निम्नलिखित नियमों के रूप में गठित उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा सेवा आयोग, ऐसे प्रारम्भ पर विद्यमान हो जायेगा और ऐसे विद्यमान पर--

(क) उस आयोग की सभी सम्पत्तियाँ और करिश्मत्तियाँ और उस आयोग के सभी अल्प, दायित्व और बाध्यता चाहे किसी विधि के अधीन हो, या अन्वया हों मूल अधिनियम की धारा 12 के अधीन स्थापित ऐसे बोर्ड को अन्तर्गत हो जायेगी जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिश्चित करे;

(ख) उस आयोग में प्रतिनियुक्ति पर काम करने वाले सभी व्यक्ति अपने मूल विभागों में प्रतिवर्तित हो जायेगे;

(ग) उस आयोग के प्रत्येक पूर्णकालिक कर्मचारी की सेवा में मूल अधिनियम की धारा 12 के अधीन स्थापित ऐसे बोर्ड से, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिश्चित करे, अन्तर्गत हो जायेगी।

(घ) मूल अधिनियम के अध्याय दो के, जैसा वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व था, अधीन उस आयोग के समस्त सम्पत्त कोई विधत और मूल अधिनियम की धारा 21 के जैसी वह ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व थी, अधीन उस आयोग के समस्त सम्पत्त कोई संबन्ध मूल अधिनियम की धारा 12 के अधीन स्थापित अधिकारिता रखने वाले बोर्ड को अन्तर्गत हो जायेगा।

धारा 34 का
निकाला जाना
अनुसूची का
निकाला जाना
संक्रमणकारी
उपबन्ध

भाइरा से,
बारेन्द कान्हार नगर,
सदियवा।

No. 30(2)/XVII-V-1-1(KA) 17-1992

Dated Lucknow, January 6, 1993

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Seva Ayog Aur Chayan Board (Sanshodhan) Adhiniyam, 1992 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 1 of 1993) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on December 17, 1992.

THE UTTAR PRADESH SECONDARY EDUCATION SERVICES
COMMISSION AND SELECTION BOARDS (AMENDMENT) ACT, 1992

(U. P. ACT NO. 1 OF 1993)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN
ACT

further to amend the Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission and Selection Boards Act, 1982.

IT IS HEREBY enacted in the Forty-third Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission and Selection Boards (Amendment) Act, 1992.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf and different dates may be appointed for different provisions.

Amendment of long title of U.P. Act no. 5 of 1982

2. In the long title of the Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission and Selection Boards Act, 1982, hereinafter referred to as the principal Act, the words "Commission and" shall be omitted.

Amendment of section 1

3. In section 1 of the principal Act, in sub-section (1), the words "Commission and" shall be omitted.

Amendment of Section 2

4. In section 2 of the principal Act,—

(a) clauses (b) and (c) shall be omitted ;

(b) after clause (d), the following clause shall be inserted, namely—
“(d-1) ‘Inspector’ means the District Inspector of Schools and in relation to an institution for girls, the Regional Inspectress of Girls Schools ;” ;

(c) for clause (g), the following clause shall be substituted, namely—
“(g) ‘member’ means a member of the Board and includes the President ;” ;

(d) clauses (h) and (j) shall be omitted ;

(e) after clause (h), the following clause shall be inserted, namely—

“(1) ‘year of recruitment’ means a period of twelve months commencing from first day of July of a calendar year.”

Omission of Chapter II

5. Chapter II containing sections 3 to 11 of the principal Act shall be omitted.

Amendment of section 12

6. In section 12 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), for the words “six or more” the word “four” shall be substituted ;

(b) for sub-sections (3), (4) and (5) the following sub-sections shall be substituted, namely—

“(3) Every such Board shall consist of a President and not more than four other members, to be appointed by the State Government, on the recommendation made in the prescribed manner by a Selection Committee comprising,—

(i) Chief Secretary to the Government of Uttar Pradesh—*Chairman*

(ii) Secretary to the Government of Uttar Pradesh—*Member* in the Judicial Department.

(iii) Secretary to the Government of Uttar Pradesh—*Member* in charge of the Secondary Education Department—*Secretary/Convener*

(4) A person shall not be qualified for appointment as President unless,—

(a) he holds or has held any of the following posts or a post equivalent thereto, namely—

(i) District Judge ;

(ii) District Magistrate ;

(iii) Director of Education ; or

(b) he is, in the opinion of the State Government, an eminent educationist having made valuable contribution in the field of education.

(5) A person shall not be qualified for appointment as a member unless,—

(a) he holds or has held any of the following posts or a post equivalent thereto, namely—

(i) Additional District Judge ;

(ii) Additional District Magistrate ;

(iii) Additional Director of Education ;

(iv) Professor in any University established by law in Uttar Pradesh ;

(v) Principal or Reader of any College recognised by or affiliated to, any such University for a period of not less than ten years ;

(vi) Principal of any Institution for a period of not less than fifteen years ; or

(b) he is, in the opinion of the State Government, an eminent educationist having made valuable contribution in the field of education.”

7. After section 12 of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely—

“12-A(1) Subject to the provisions of this Act, every member shall hold office for a term of three years.

(2) No person shall be a member of the Board for more than two consecutive terms.

(3) A member of the Board may resign his office by writing under his hand to the State Government, but he shall continue in office until his resignation is accepted by the State Government.

(4) The office of the members shall be whole time and the terms and conditions of their services shall be such as the State Government may, by order, direct.

(5) Notwithstanding anything contained in this section or section 12, no person shall be appointed as a member, if he is below fifty five years of age, or be appointed or continue as member, if he has attained the age of sixty two years.

Insertion of new sections 12-A, 12-B and 12-C

12-B.(1) The State Government may, by order remove from office any member, if he,—

- (a) is adjudged an insolvent, or
- (b) engages, during his term of office, in any paid employment outside the duties of his office, or
- (c) is, in the opinion of the State Government, unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body or of proved misconduct, or
- (d) incurs any disqualification under this Act or the rules made thereunder.

Explanation—Where a member becomes in any way concerned or interested in any contract or agreement made by or on behalf of any institution or participates in any way in the profits thereof or in any benefit or emolument arising therefrom, otherwise than as a member, he shall for the purpose of clause (c), be deemed to be guilty of misconduct.

(2) The procedure for the investigation and proof of misconduct under this section shall be such as may be prescribed.

12-C. The Board may associate with itself, in such manner and for such purposes as may be prescribed, any person whose assistance or advice it may desire to have, in carrying out any of the provisions of this Act."

Amendment of section 13

8. In section 13 of the principal Act, in sub-section (1), the following proviso shall be inserted in the end, namely—

"Provided that the Secretary of the Board shall be appointed by the State Government on deputation."

Amendment of section 14

9. In section 14 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), the brackets and words "(other than a teacher specified in the Schedule)" shall be omitted;

(b) sub-section (2) shall be omitted;

(c) in sub-section (3),—

(i) for the words and figures "sub-sections (1) and (2)," the words and figures "sub-section (1)," shall be substituted;

(ii) in clause (a), the words "to conduct examinations where considered necessary or" shall be omitted;

(iii) in clause (b), the words "and to appoint examiners" shall be omitted;

(iv) in clause (c) the words "and examiners" shall be omitted;

(v) after clause (e), the following clauses shall be inserted, namely—

(f) to make recommendations regarding the appointment of selected candidates and their promotion;

(g) to advise the management in matters relating to dismissal, removal or reduction in rank of the teachers or reduction in their emoluments or withholding of their increment;

(h) to obtain the periodical returns or other informations from institutions regarding strength of the teaching staff and the appointment, promotion, dismissal, removal, termination or reduction in rank of teachers."

Substitution of section 15

10. For section 15 of the principal Act, the following sections shall be substituted, namely:—

15 (1) For the purposes of making appointment of a teacher, the Management shall determine the number of vacancies existing or likely to fall vacant during the year of recruitment and in the case of any post, other than the post of head of Institution, also the number of vacancies to be reserved for the candidate belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories

of persons in accordance with the rules or orders issued by the Government in this behalf in regard to the institution and notify the vacancies to the Board in such manner and through such officer or authority as may be prescribed.

(2) The procedure of selection of candidates for appointment to the post of such teachers shall be such as may be prescribed :

Provided that the Board shall, with a view to inviting talented persons, give wide publicity in the State to the vacancies notified under sub-section (1).

15-A. (1) The Board shall, as soon as possible, after the notification of vacancies under section 15, hold interview of the candidates and prepare and forward to the officer or authority referred to in sub-section (1) of section 15 in the prescribed manner, a panel of those found suitable for appointment.

(2) On receipt of such panel the officer or authority concerned shall, in the prescribed manner, intimate the Management of the Institution, in respect of which the vacancy was notified the name of the selected candidate.

(3) The Management shall, within a period of one month from the date of receipt of such intimation, issue appointment letter to such selected candidate.

(4) Where such selected candidate fails to join the post in such Institution within the time allowed in the appointment letter or within such extended time as the Management may allow in this behalf, or where such candidate is otherwise not available for appointment, the officer or the authority concerned may, on the request of the Management, intimate in the prescribed manner, fresh name or names from the panel forwarded by the Board under sub-section (1).

(5) The panel prepared under sub-section (1) shall remain in force for one year.

15-B. Where after regularisation of appointment of teachers under section 33-B, it is found that in any Institution persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and other categories referred to in sub-section (1) of section 15 are not holding such number of posts as should have been held by persons of such category according to the posts reserved for them, then notwithstanding anything to the contrary contained in any other provision of this Act appointments in such Institution in the vacancies arising after the commencement of the Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission and Selection Boards (Amendment) Act, 1992 shall be so made that the first and every alternate vacancy is filled by the person of such category until the number of post reserved for such category is filled by persons belonging to such category."

11. For section 16 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely—

"16. (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in the Intermediate Education Act, 1921 or the regulation made thereunder but subject to the provisions of sections 21-B, 21-C, 21-D, 33, 33-A and 33-B, every appointment of a teacher, shall, on or after the date of commencement of the Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission and Selection Boards (Amendment) Act, 1992, be made by the Management only on the recommendation of the Board :

Provided that in respect of retrenched employees, the provisions of section 16-EE of the Intermediate Education Act, 1921, shall *mutatis mutandis* apply :

Substituted section 16

Appointment to be made only on the recommendation of the Board

Secondary Education Services Commission and Selection Boards (Amendment) Act, 1992, be made by the Management only on the recommendation of the Board :

Provided that in respect of retrenched employees, the provisions of section 16-EE of the Intermediate Education Act, 1921, shall *mutatis mutandis* apply :

Provided further that the appointment of a teacher by transfer from one Institution to another, may be made in accordance with the regulations made under clause (c) of sub-section (2) of section 16-G of the Intermediate Education Act, 1921.

(2) Any appointment made in contravention of the provisions of sub-section (1) shall be void."

Amendment of section 17

12. In section 17 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), for the words "Chapter II or Chapter III, as the case may be", the words, "Chapter III" shall be substituted;

(b) in sub-section (2) for the words "on receipt" the words "As far as may be within one month from the date of receipt" shall be substituted.

Omission of section 18

13. Section 18 of the principal Act, shall be omitted.

Substitution of section 19

14. For section 19 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely—

"19. The Board may require the Management of an Institution to furnish such information or return regarding the matters referred to in section 14, as it thinks fit, and the Management shall be bound to comply with the same."

Amendment of section 20

15. In section 20 of the principal Act, for the words "The Secretary of the Commission or any other person authorised by the Commission or the Board", the words "Any person authorised in this behalf by the Board" shall be substituted.

Substitution of section 21

16. For section 21 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely—

"21. The Management shall not, except with the prior approval of the Board, dismiss any teacher or remove him from service, or serve on him any notice of removal from service, or reduce him in rank or reduce his emoluments or withhold his increment for any period (whether temporarily or permanently) and any such thing done without such prior approval shall be void."

Amendment of section 22

17. In section 22 of the principal Act, for the words "the Commission or the Board, as the case may be," the words "the Board" shall be substituted.

Amendment of sections 23 and 26

18. In sections 23 and 26 of the principal Act, the words "the Commission or" wherever they occur, shall be omitted.

Amendment of section 27

19. In section 27 of the principal Act, sub-section (1) shall be omitted.

Amendment of section 28

20. In section 28 of the principal Act, for the words "the Commission or Board", the words "the Board" shall be substituted.

Omission of section 29

21. Section 29 of the principal Act shall be omitted.

Amendment of section 32

22. In section 32 of the principal Act, for the words "or the rules or regulations made hereunder," the words "or the rules made hereunder" shall be substituted.

Amendment of section 33

23. In section 33 of the principal Act, in sub-section (1), for the proviso the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of the Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission and Selection Boards (Amendment) Act, 1992."

24. After section 33-A of the principal Act, the following section shall be inserted, namely—

Insertion of new section-33-B

“33-B. (1) Any teacher, other than the Principal or Headmaster, who—

(a) (i) was appointed by promotion or by direct recruitment in the lecturer grade or Trained Graduate grade on or before May 14, 1991 or in the Certificate of Teaching grade on or before May 13, 1989 against a short term vacancy in accordance with paragraph 2 of the Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission (Removal of Difficulties) (Second) Order, 1981 and such vacancy was subsequently converted into a substantive vacancy, or

(ii) was appointed by direct recruitment on or after July 14, 1981 but not later than June 12, 1985 on *ad hoc* basis against a substantive vacancy in the Certificate of Teaching grade through advertisement and such appointment was approved by the Inspector, or

(iii) was appointed by promotion or by direct recruitment on or after July 31, 1988 but not later than May 14, 1991 on *ad hoc* basis against a substantive vacancy in accordance with section 18, as it stood before its omission by the Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission and Selection Boards (Amendment) Act, 1992 ;

(b) possesses the qualifications prescribed under, or is exempted from such qualifications in accordance with, the provisions of the Intermediate Education Act, 1921 ;

(c) has been continuously serving the Institution from the date of such appointment up to the date of the commencement of the Act referred to in sub-clause (iii) of clause (a) ;

(d) is not related to any member of the Management or the Principal or Head Master of the Institution concerned in the manner specified in the explanation to sub-section (3) of section 33-A ;

(e) has been found suitable for appointment in a substantive capacity by a Selection Committee constituted under sub-section (2), shall be given substantive appointment by the Management.

(2) (a) For each region, there shall be a Selection Committee comprising—

(i) Regional Deputy Director of Education of that region, who shall be the Chairman,

(ii) One officer holding a Group 'A' post (specified as such by the State Government from time to time) in any department other than Education Department, to be nominated by the State Government,

(iii) Regional Inspectress of Girls School of that region ;

Provided that the Inspector of the district shall be co-opted as a member while considering the cases for regularisation of that district.

(b) The Selection Committee constituted under clause (a) shall consider the case of every such teacher and on being satisfied about his eligibility and suitability in view of the provisions of sub-section (1) shall, subject to the provisions of sub-section (3) recommend his name to the Management for appointment under sub-section (1) in a substantive vacancy.

(3) (a) The names of the teachers shall be recommended for substantive appointment in order of seniority as determined from the date of their appointment.

(b) If two or more such teachers are appointed on the same date, the teacher who is elder in age shall be recommended first.

(4) Every teacher appointed in a substantive capacity under sub-section (1) shall be deemed to be on probation from the date of such substantive appointment.

- (5) A teacher who is not found suitable under sub-section (1) and a teacher who is not eligible to get a substantive appointment under that sub-section shall cease to hold the appointment on such date as the State Government may by order specify.
- (6) Nothing in this section shall be construed to entitle any teacher to substantive appointment, if on the date of commencement of the Act referred to in sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (1), such vacancy had already been filled or selection for such vacancy has already been made in accordance with this Act."
- Omission of section 34 of the principal Act shall be *omitted*.
- Omission of the Schedule and Transitory Provisions of the principal Act shall be *omitted*.
27. The Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission constituted as a body corporate under section 3 of the principal Act as it stood immediately before the commencement of this Act, shall upon such commencement stand dissolved, and upon such dissolution—
- (a) all properties and assets of that Commission and all debts, liabilities and obligations of that Commission whether contractual or otherwise shall stand transferred to such Board established under section 12 of the principal Act as the State Government may, by notification specify in that behalf;
- (b) all persons serving on deputation in that Commission shall revert to their parent departments;
- (c) the services of every whole time employee of that Commission shall stand transferred to such Board established under section 12 of the principal Act as the State Government may, by notification, specify in that behalf;
- (d) any matter pending before that Commission under Chapter II of the principal Act as it stood before the commencement of this Act and any reference pending before that Commission under section 21 of the principal Act as it stood immediately before such commencement shall stand transferred to the Board established under section 12 of the principal Act, having jurisdiction.

By order,
M. K. NARANG,
Secretary.